तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज कुलदीप चौधरी बनाम लो.सू.अ.(उपखण्ड अधिकारी, बाप) सू.अ.अ. अपील संख्या 142/2017	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.12.17	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी कुलदीप चौधरी पता प्लॉट नं. 11, खसरा नं. 55/6, सारणनगरसी रोड़, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 12.07.2017 में उसके द्वारा (1) गांव बडीसिड तहसील बाप जिला जोधपुर में स्थित खसरा नं. 285 में आवंटियों के नाम, पते मय उक्त आवंटित क्षेत्रफल के बारे में व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी बाप) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी बाप) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी बाप) से आदिनांक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी बाप) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। ओदश सुनाया गया।	